दिनांक–15.12.2015 को मुख्य अभियंता, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में, पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कंकड़बाग जल निकासी योजना (स्टार्म ड्रेनेज योजना) के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित NBCC के लंबित भुगतान एवं बैंक गारण्टी के वापसी के सम्बन्ध में की गई बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– संलग्न

1. बैठक में NBCC के AGM (Engg.) से कंकड़बाग ड्रेनेज योजना पर यह पृच्छा की गई कि एकरारनामा का Contract Clauses क्या है और उनकी भूमिका Consultant की है अथवा Executing Agency की है, उनके द्वारा बताया गया कि एकरारनामा के स्थान पर MOU है एवं उपरोक्त कार्य के लिए Executing Agency NBCC है। SBD अथवा अन्य Contract Clauses लागू नहीं होते है।

2. डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में पूछे जाने पर बताया गया कि NBCC के Consultant M/S STUP थे, जिसके आधार पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति 49.31 करोड़ रू0 की दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का MOM दिनांक–20.04.2015 द्वारा BRJP को Pump House, Hand over किया जा चुका है तथा नाला भाग का मापी का कार्य एवं स्थल verification का कार्य पटना नगर निगम के अभियंताओं ने कर लिया था, परन्तु Hand over की कार्रवाई नहीं हुई है। पटना नगर निगम के नगर मुख्य अभियंता द्वारा यह बताया गया कि NBCC से जिस Assets को दिया जाना है, उसका रेखांकन, आरेखन (Drawings) मिल जाने पर Take over कर लिया जायेगा।

   बैठक में NBCC के पदाधिकारियों को बताया गया कि शीघ्र एक प्लान, जो PCR (Project Completion Report) के तहत तैयार कर लेना चाहिए था, जिसमें Junction to Junction नाला का slope के साथ Drawing एवं नाला का Dimension को अंकित कर दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में BRJP के उपस्थित पदाधिकारी से Pump House के Take over होने के बाद किसी कमियों/खामियों के बारे में सूचीबद्ध कर प्रस्तुत करने को कहा गया तथा उन खामियों का rectification किये जाने पर प्रभावित लागत का Assessment भी साथ–साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

   इसी प्रकार पटना नगर निगम, नगर मुख्य अभियंता को यह बताया गया कि वे स्वंय अभिरूचि लेकर नाला भाग का हस्तान्तरण प्राप्त कर कमियाँ/खामियाँ यदि

पायी जाती है तो, उसकी विवरणी बनाकर प्रभावित लागत assess करते हुए शीघ्र समर्पित करेंगे। NBCC के पदाधिकारी को पटना नगर निगम एवं BRJP दोनों को सहायता एवं समन्वय करने के लिए निदेशित किया गया।

3. बुडको के द्वारा इस परियोजना के अवशेष कार्य के रूप में 55,85,848/– राशि को खर्च किया गया है, जो समेकित AA Vs Expenditure (मदवार) चार्ट में रखकर पुनरीक्षित प्राक्कलन का भाग बनेगा, इसके लिए Detail मदवार किये गये कार्य को खर्च के साथ पार्ट प्राक्कलन के रूप में प्रस्तुत किये जाने के लिए मुख्य महाप्रबंधक को बताया गया।

4. उपरोक्त प्रोजेक्ट के तहत 7,56,28,897/– राशि का भुगतान के सम्बन्ध में NBCC के द्वारा Administrative approval, वास्तविक मदों में किया गया खर्च, Deviation Item, नयें मदों का खर्च, Excess/Saving का विस्तृत चार्ट पाँच प्रति में शीघ्र तैयार करेंगे। सभी विचलन का Justification भी देंगे, तभी यह स्पष्ट हो पायेगा कि पुनः पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता है अथवा नहीं।

5. पी0डब्लू0कोड के अनुसार छूटे हुए भाग/छोड़े गये भाग की राशि को Limit करने के बाद ही प्रोजेक्ट के Expenditure को मान्य किया जाता है। 10% के सीमा तक, कार्य में विचलन मदों के कारण, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति लिये जाने का प्रावधान है।

6. बैंक गारण्टी के बारे में NBCC के द्वारा यह पक्ष रखा गया कि Intial Advance 50% के लिए बैंक गारण्टी दिया गया था। NBCC से Earnest Money, Tender Cost, Security नहीं लिया जाना है। इसके लिए MOU प्रभावी होगा।

7. NBCC से Bill एवं कार्य की प्रगति का Year wise Mile Stone एवं Work Programme के सम्बन्ध में पूछे जाने पर स्पष्टता नहीं हुआ है।

8. बैठक में BRJP के द्वारा बताया गया कि MOU का एक पक्ष BRJP थे, परन्तु नगर विकास एवं आवास विभाग ने सीधे अपने हाथ में कार्य ले लिया, उस समय तक NBCC के कार्य की प्रगति शून्य थी।

अतः कार्य संपन्न करने के दौरान BRJP की जवाबदेही, कहीं भी नहीं होती है। NBCC के द्वारा जमीन की उपलब्धता पर बताया गया, जिसे On-record Submit

P.T.O

करने का निदेश दिया गया। Project के Final Documentation, जिसे Owner को handing over किया जाना चाहिए, के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी, इस पर NBCC के प्रतिनिधि ने Loan, Liability, Court Case एवं Arbitration के बिन्दुओं को उठाया, इसे स्पष्ट रूप से लिखित प्रतिवेदन के रूप में दिये जाने का निदेश दिया गया।

अगली बैठक की तिथि का निर्धारण माह जनवरी 2016 के प्रथम सप्ताह में रखे जाने के सम्बन्ध में चर्चा हुयी, जिसे ससमय सभी पक्ष को सूचित कर दिया जायेगा।

18/12/2015

मुख्य अभियंता
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः– 2ब0/ना0नि0–11–02/2009 6208 पटना, दिनांक–18/12/15

प्रतिलिपिः– श्री देवेन्द्र कुमार, Addl. General Manager (Engg.), NBCC Ltd., 404, 4th Floor, Maurya Tower, MauryaLok Complex, New Dakbunglow Road, Patna-800001/ मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, राजापुल, पटना/नगर मुख्य अभियंता, पटना निगम निगम, मौर्यालोक कॉपलेक्स, पटना/मुख्य महाप्रबन्धक, बुडको, मौर्यालोक कॉपलेक्स, पटना।

18/12/2015

मुख्य अभियंता
नगर विकास एवं आवास विभाग